ई–मेल / अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/भू.अ./एल.आर.सी./प–88/पार्ट –II/07/ 7505-36 दिनांक 14/5/07

जिला कलेक्टर (भू.अ.)
समस्त, राजस्थान।

विषय :– साईबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दी की प्रतियॉ जारी करने के संबंध में ।
प्रसंग :– मण्डल का समसंख्यक पत्र क्रमांक 2626–58 दिनांक 15.03.07 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत साईबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दी की प्रतियॉ जारी करने के संबंध में दिनांक 10.05.2007 मण्डल स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमे निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1– जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/एलआरसी/07/2352 दिनांक 21/4/2007 के द्वारा जानकारी चाही है कि ई–मित्र के लगभग 11–12 कियोक्स लाईन्सस लेने के इच्छुक हैं ,क्या इन्हें लाईसेन्स दिया जां सकता है ?

इस संबंध में मण्डल के पत्र क्रमांक राम/भू0अ0/एलआरसी/प–88 /पार्ट'II/07/ 2626 –58 दिनांक 15/3/2007 के द्वारा लाईन्सेस दिये जाने एवं नवीनीकरण किये जाने के अधिकार जिला कलेक्टर को दिये जा चुके हैं व लाईसेन्स संबंधी समस्त पत्रावलियॉ भी जिला कलेक्टरों को भेजी जां चुकी है । इस प्रकार ई–मित्र सोसायटी के कियोस्क धारक यदि लाईसेन्स लेना चाहे तो निर्धारित शुल्क जमा करा कर जिला कलेक्टर से लाईसेन्स प्राप्त कर सकेंगे।

2– कतिपय जिला कलेकटरों /कियोस्को धारकों के पत्र मण्डल को प्राप्त हुए हैं उन्होने लिखा है कि यद्वपि लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु मण्डल में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28/2/2007 थी इसके लिए मडल द्वारा समस्त संबंधित को एक माह पूर्व पत्र प्रेषित कर दिये थे व मण्डल की वेवसाईट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया था । किन्तु उन्हें पत्र समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण वे अब विलम्ब से आवेदन कर रहे है व विलम्ब शुल्क देने को तैयार है । ऐसे प्रकरण में क्या प्रकिया अपनाई जावें।

मण्डल द्वारा इस संबंध में कियोस्क धारकों को लगभग एक माह की छूट पूर्व में ही दे दी गई थी अर्थात् दिनांक 7/4/07 तक प्राप्त सभी आवेदकों के लाईसेन्स की अवधि बढाई गई है एवं जिन्होनें उक्त तिथि तक मण्डल को आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किये उनके पासवर्ड निरस्त कर एनआईसी जयपुर को सूचित कर दिया गया था । अतः दिनांक 7/4/07 के पश्चात् प्राप्त आवेदकों को मण्डल में प्राप्त डीडी संबंधित को लौटा दी गई है। इनके लाईसेन्स का नवीनीकरण, पासवर्ड निरस्त किये जाने के कारण अब सम्भव नहीं है । इस तरह के प्रकरणों में नये सिरे से लाईसेन्स लेना आवश्यक होगा। ये लाईसेन्स जिला कलेक्टर ही दे सकेंगे।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करावें ।

भवदीय,

उप–निबन्धक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

क्रमांकः राम/भू.अ./ 7537-38 दिनांक 14/5/07

प्रतिलिपि :–

1 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर ।

2 ए.सी.पी., राजस्व मडल राजस्थान, अजमेर ।

उप–निबन्धक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर